न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 173/2016

1. सुनील कुमार
2. सेठी

पुत्र हरदयाल जाति बिश्नोई निवासी 4 के आर डब्ल्यू ढाणी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।—अपीलार्थीगण

बनाम

1. जीतसिंह पुत्र कोहरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्वर्णसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. कुलदीपसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. जसविन्द्रसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. महेन्द्रसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. जसी पुत्री दरबारसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. जगसीरसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. साधुसिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
9. दर्शनसिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
10. गुरमेलसिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

31/5/18

11. हरगोविन्द सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

12. बलकरणसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जटसिख निवासी नन्दवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।

13. सीबो पुत्री मोहरसिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

14. परमजीत कौर पत्नी स्वर्णसिंह जाति जटसिख निवासी अमरगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

15. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 24.08.2016

उपस्थितिः—

श्री बलवंत बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 5, 8 से 10

श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 31.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष राज.काश्त.अधि. 251ए के तहत पेश कर चक 4 के.आर.डब्लयू के प.नं. 99/127 मु.नं. 32 के कि.नं. 8/1, 9, 12, 13/1, 18/1, 19/1, 22, 23/1 में रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी सं. 1 से 5, 9 व 10 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है जिससे वह आ जा रहे हैं। प्रार्थीगण ने सभी रिकार्डेड खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीगण ने अधूरे तथ्यों के आधार पर प्रा. पत्र पेश किया है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

31/5/18

सुनवाई करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने दिनांक 24.08.2016 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने प्रार्थी का प्रा.पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि भूमि संयुक्त खाता की है। सभी सहखातेदारों का प्रत्येक इंच भूमि पर हक व अधिकार है। अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से तहसीलदार से कोई मौके की रिपोर्ट नहीं मंगवाई जोकि आवश्यक थी। अपीलांट को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की पालना किये बिना प्रा.पत्र खारिज किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने जहां से रास्ता मांगा है वहां बाग लगा हुआ है, कोठा बना हुआ है। भूमि संयुक्त खाता की है। रेस्पों. को अपनी भूमि आने–जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत न करने का आधार, जहां स्वीकृत करने का निवेदन किया है वह भूमि संयुक्त खाते की भूमि है तथा संयुक्त खाते की भूमि में रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता दर्शाकर प्रा.पत्र खारिज किया है, जबकि रास्ता स्वीकृत करने के संदर्भ प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में निहित है जिसकी bare reading है कि "251-A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or

31/5/18

enlarging the existing way.— (1) Where—(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings– and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that–

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved– may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along the line demar-cated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way, or enlarge or widen an existing way is granted.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted."

इस धारा की क्रियान्वति हेतु बने नियम राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम संशोधित नियम 2012 के नियम 69(i)(ii) में प्रार्थना पत्र निस्तारण के मार्गदर्शक निर्देश है जिसकी bare reading है कि Enquiry and disposal of application.- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the

31/5/18

site himself or get it inspected by an-officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved,

may allow the application. The application shall he decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

अधी. न्यायालय का निर्णय उपरोक्त विधि एवं पैरामीटरस पर सही नहीं हाने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायाय का निर्णय दिनांक 24.08.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को रास्ते की absolute आवश्यकता प्रमाणित है। अतः विधिक प्रावधानुसार रास्ता स्वीकृत करे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर